रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2010/चैत्र 2, 1932
No. 76] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2010/CHAITRA 2, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 19 मार्च, 2010

सं. टीएएमपी/20/2008-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के चलते-फिरते अग्निशामक यूनिटों द्वारा अग्नि से रक्षण/अग्नि दमन/अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार निर्धारित करने हेतु, इससे प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं. टीएएमपी/20/2008-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ... आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2010 के 23वें दिन पारित)

यह प्रकरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा अपने चलते-फिरते अग्निशामक यूनिटों द्वारा अग्नि रक्षण/अग्नि दमन/अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार निर्धारित करने हेतु जेएनपीटी से प्राप्त दिनांक 18 अप्रैल, 2008 के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1 जेएनपीटी द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु संक्षेप में निम्नानुसार है:

(i) जेएनपीटी और वहाँ प्रचालनरत निजी टर्मिनल्स, यथा, न्हावा-शेवा अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइ. लिमि. (जीटीआईपीएल) और भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. (बीपीसीएल), सभी शुष्क बल्क कार्गो, तरल बल्क कार्गो और कंटेनरों का प्रहस्तन करते हैं ।

(ii) पत्तन क्षेत्र के आसपास लगभग 20 निजी कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) उभर आए हैं । बीपीसीएल का बाटलिंग प्लांट और केंद्रीय भंडारण निगम (सी डब्ल्यू सी) का भंडार (वेयर हाऊस) जेएनपीटी से लगभग 15 कि.मी. के अन्तर के भीतर ही है ।

(iii) आग से लोगों की रक्षा और बचाव के लिए जेएनपीटी, आग लगने पर इन पड़ोसी संस्थापनाओं को (संदर्भित) सेवाएं प्रदान करता है । कथित सेवाओं के लिए जेएनपीटी द्वारा, अध्यक्ष (जेएनपीटी) के अनुमोदन से प्रस्तावित प्रभार लगाए जा रहे हैं ।

(iv) समय बीतने के साथ-साथ इस प्रकार के बुलावों की संख्या बढ़ती ही जा रही है । जेएनपीटी (संबंधित) पक्षों से, जब कभी पक्षों के अनुरोध पर या जब कभी आवश्यक समझा गया सेवा में अपने अग्निशामक यूनिट झोंकने के लिए पक्षों से प्रस्तावित दर प्रभारित करता रहा है । तथापि, कुछ ऐसे पक्ष भी है जो कथित प्रशुल्क लगाने के लिए औचित्य बताने का अनुरोध करते है और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों की अधिसूचना दिखाने पर जोर देते हैं ।

(v) आपात स्थिति का सामना करने के लिए पत्तन द्वारा वसूल किये जा रहे खतरनाक कार्गो के जरिए प्रति कंटेनर अलग प्रशुल्क में पत्तन द्वारा प्रदत्त अग्नि सेवाओं का समावेश नहीं है ।

(vi) जेएनपीटी के न्यासी मंडल ने 18 फरवरी 2008 को आयोजित अपनी बैठक में कथित प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है ।

(vii) प्रस्तावित प्रशुल्क, विशेषकर, मानव बल लगाने के लिए, वर्तमान दरमान के अनुरू प है । अन्य चलते फिरते और अग्निशामक उपकरणों के लिए दरें पत्तन द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत पर परिगणित की गई है । इन्हीं को प्रस्तावित किया गया है और निजी पक्षों को सेवाएं प्रदान करने पर, उन पर

लगायी जाएंगी । ये प्रभार एकदम न्यूनतम हैं और तर्क संगत हैं । (जेएनपीटी ने प्रस्तावित दरों के समर्थन में एक लागत विवरणी प्रस्तुत की है ।

2.2 जेएनपीटी ने अग्निशामक सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित वर्तमान प्रभार अनुमोदित करने का अनुरोध किया है:-

(i) फायर टेंडर रू . 2000/- प्रति फायर टेंडर प्रति घंटा

(ii) ट्रेलर फायर पम्प रू . 1500/- प्रति पंप प्रति घंटा

(iii) मानव बल
(क) अधिकारी रू . 100/- प्रति घंटा
(ख) कर्मचारी रू . 75/- प्रति घंटा

(iv) अग्निशामक उपकरण और सामग्री प्रभार वास्तविक + 20% उपरिव्यय
(क) जल प्रभार
(ख) एएफएफएफ कंपाऊंड
(ग) ड्राई कैमिकल पाऊडर
(घ) ई.ए. सैट्स
(ड.) फायर एक्सटिंगिशर्स
(च) एम्बुलैंस
(छ) अन्य

ऊपर (i), (ii) और (iii) के विषय में किराया प्रभार कम से कम चार घंटे के लिए भुगतान किए जाने हैं ।

3 निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार जेएनपीटी से प्राप्त प्रस्ताव की एक प्रति उपयोगकर्त्ताओं की अनुमोदित सूची और जेएनपीटी द्वारा प्रदत्त उपयोगकर्त्ताओं की अतिरिक्त सूची में से संबंधित उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी । कुछ उपयोगकर्त्ताओं ने अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं । उनसे प्राप्त टिप्पणियाँ प्रतिपूरक सूचना के रू प में जेएनपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजे गए थे । जेएनपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी प्रदान की हैं ।

4.1 प्रस्ताव की आरंभिक जाँच पड़ताल पर जेएनपीटी से अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था । एक अनुस्मारक के बाद जेएनपीटी ने उत्तर प्रदान किया है । हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न और जेएनपीटी के उत्तर नीचे सारणी बद्ध रू प में दिए हैं:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	जेएनपीटी के उत्तर
(i)	जेएनपीटी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि प्रस्तावित दरों पर अग्निशमन के लिए प्रभार अध्यक्ष (जेएनपीटी) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर ही लगाए जा रहे हैं । अग्निशमन सेवाओं के लिए जेएनपीटी द्वारा लगाए जा रहे प्रभार मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.1 और 2.17.3 के अनुरू प नहीं जान पड़ते हैं । प्रशुल्क मार्गदर्शियों	पत्तन ने बाहरी पक्षों को प्रदत्त अग्निशामक सेवाओं के लिए प्रभार लगाना, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद, वर्ष 2003 से ही आरंभ कर दिया था । आग लगने की जिन घटनाओं के लिए सेवाएं प्रदान की गई वे बहुत कम थी और वे आपातकालीन मामले ही थे । विगत में मौजूद अग्निशामक सुविधाओं की योजना प्रमुखतः पत्तन की प्रचालनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन

	के अनुसार जब कभी किसी सेवा / कार्गो के लिए अधिसूचित दरमान में विनिर्दिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं हो, तब पत्तन एक उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और जब तक दर अन्तिम रूप से अधिसूचित नहीं हो जाती तब तक प्रस्तावित प्रभार तदर्थ आधार पर लगा सकता है । जेएनपीटी ने प्रस्ताव अप्रैल 2008 में दाखिल किया है, यह स्पष्ट नहीं है कि पत्तन कब से तदर्थ आधार पर प्रभार लगाता आ रहा है । इसके अलावा, कथित मार्गदर्शी अन्य बातों के साथ यह भी अनुबंधित करता है कि प्रशुल्क पर पत्तन और संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए । वर्तमान मामले में प्रभार लगाने पर संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं की सहमति नहीं जान पड़ती है । जेएनपीटी यह स्पष्ट करे कि किस प्रशुल्क सैटिंग व्यवस्था के अंतर्गत पत्तन द्वारा प्रभार लिया जा रहा है ।	की गई थी । आस पड़ौस में स्थित अन्य संगठनों से प्राप्त अनुरोध पर सहायता पहुंचाने का प्रश्न घटना की आपातकालीन प्रकृति के आधार पर लिया गया था क्योंकि बाहरी पक्षों को अग्निशामक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुविधाएं पत्तन का मुख्य प्रयोजन नहीं था । पड़ोस में अन्य संगठनों से आपातकालीन अनुरोधों की संख्या जैसे-जैसे बहने लगी अप्रैल 2008 में प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था ।
(ii)	जेएनपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव उपकरणों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु लगने वाले फार्मेट-सी में नहीं है । जेएनपीटी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।	जेएनपीटी द्वारा प्रदत्त लागत ब्यौरे निर्धारित फार्मेट में नहीं पाए गए ।
(iii)	खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए जेएनपीटी के दरमान में 25% प्रीमियम के साथ अलग प्रभार निर्धारित किए गए हैं । उपयोगकर्त्ताओं की टिप्पणियों पर टिप्पणी देते हुए दिनांक 29 नवंबर 2008 के जेएनपीटी के पत्र से ऐसा लगता है कि 25% प्रीमियम खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन में पत्तन द्वारा कथित रूप से की गई अतिरिक्त देखभाल के लिए है । अतिरिक्त देखभाल के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किए जाते हैं, इसकी सूची प्रदान करें ।	खतरनाक कंटेनर के प्रहस्तन के लिए अतिरिक्त प्रभार पोतों, पत्तन में लाकर खड़े किए गए ट्रेलरों से / पर उतारने / लादने के दौरान पत्तन द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त देखभाल के लिए और स्वयंकार्गो की प्रकृति द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए है । खतरनाक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारित 25% प्रीमियम में किसी भी रूप से अग्निशामक सुविधाएं शामिल नहीं है, जो अनपेक्षित आपात स्थितियों में प्रदान करनी पड़ सकती हैं । अतिरिक्त देखभाल की मद में समाहित गतिविधियां निम्नलिखित हैं :- (i) खतरनाक कंटेनरों की यार्ड में छंटनी (ii) पोत / जलयान में अलग-अलग स्थानों में कंटेनरों का भंडारण (iii) कंटेनर प्रहस्तन प्रचालन के दौरान अतिरिक्त देखभाल और सुपरवीजन (iv)खतरनाक कंटेनरों पर लेबल लगाना (v)यार्ड से बर्थ और व्युत्क्रम में खतरनाक कंटेनरों के परिवहन में रखा जाने वाला विशेष ध्यान (vi)परिवहन के लिए लगाए जाने वाले हैवी ड्यूटी ड्राइवर को इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है ।
(iv)	फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंप के लिए किराया प्रभारों की गणना के लिए जेएनपीटी द्वारा प्रस्तुत	

	लागत ब्यौरों के संदर्भ से जेएनपीटी निम्नलिखित स्पष्ट करें / प्रस्तुत करें :- (क) पत्तन के चलते फिरते अग्निशामक यूनिट में दो वाटर फायर टेंडर्स, एक फोम फायर टेंडर, और एक मल्टीपर्पज फायर टेंडर हैं। तथापि, जेएनपीटी ने विभिन्न श्रेणियों के फायर टेंडरों के लिए किराया प्रभार लगाने साझा दर प्रस्तावित की है। इस संदर्भ में जेएनपीटी स्पष्ट करें कि क्या 60 किमी प्रतिघंटा की औसत यात्रा और फायर टेंडरों की ईंधन खपत लागत की गणना करने के लिए विचारित 20 लिटर प्रतिघंटा की दर से डीजल की खपत सभी प्रकार के फायर टेंडरों के लिए समान होगी।	जेएनपीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि डीजल की औसत खपत सभी प्रकार के फायर टेंडरों के लिए 1 लिटर डीजल प्रति किलोमीटर होगी।
	(ख) जेएनपीटी ने बताया कि लागत की गणना पत्तन द्वारा खर्च वास्तविकों पर आधारित है। जेएनपीटी इसके द्वारा विचारित पिछले तीन वर्षो में वास्तविकों पंर आधारित गणना द्वारा समर्थित, फायर टेंडरों की औसत यात्रा / गति तथा फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंपों द्वारा ईंधन खपत सिद्ध करे।	जेएनपीटी ने लागत पत्रक प्रस्तुत किया है। गणनाएं, पिछले तीन वर्षो में, पत्तन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पत्तन के पास उपलब्ध डाटा पर आधारित हैं।
	(ग) (i)क्या रू.35 लाख प्रति टेंडर की लागत, फायर टेंडरों की सभी श्रेणियों के लिए भी समान है। रू.. 35 लाख प्रति फायर टेंडर की क्रय लागत को दस्तावेजी साक्ष्यों की सहायता से प्रमाणित किया जाए। (ii)इसी प्रकार ट्रेलर फायर पपों की क्रय लागत रू. 11 लाख को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित किया जाए ।	गणनाओं के प्रयोजन से विचारित फायर टेंडरों की औसत लागत समग्रता सभी फायर टेंडरों के लिए रू. 30.40 लाख (प्रति फायर टेंडर) है। फायर टेंडरों की लागत रू. 29 लाख से रू. 33 लाख के बीच है। (ii)जेएनपीटी ने स्पष्ट किया है कि ट्रेलर पंप्स वर्ष 1998 में अर्जित किए गए थे और एमओएस के मानदंडों के अनुसार उनका किफायती जीवन काल समाप्त हो चुका है। इसलिए, सक्षम अधिकारियों के विधिवत अनुमोदन से कथित पंपों को कबाड़ घोषित कर दिया गया था। इसलिए, कथित उपकरणों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
	(घ) ऐसा लगता है कि फायर टैंडरों और ट्रेलर फायर पंपों का वार्षिक अनुरक्षण बाहरी एजेन्सियों से करवाया जाता है। जेएनपीटी फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंपों के अनुरक्षण के लिए बाहरी पक्षों के साथ निष्पादित अनुबंधों की प्रति प्रस्तुत करें।	जेएनपीटी ने फायर टेंडरों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) के लिए दिनांक 30.8.2008 के कार्य-आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की है यह वा.अनु.अनुबंध रू. 3,76,560 प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष के लिए वैध है।
	(ङ) (i) फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंपो का शैल्फ जीवन, मूल्य ोास की गणना के लिए 10 वर्ष मानने का आधार प्रस्तुत किया जाए।	पिछला मूल्य ोास एमओएस मार्गदर्शियों के आधार पर परिगणित किया गया था। इस मार्गदर्शियों में अग्निशामक उपकरणों का जीवन काल 10 वर्ष दर्शाया गया है। मूल्योंास, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची सं. XIV के अनुसार (2005 की प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.7.1 के अनुसार) 11.31% प्रतिवर्ष की दर से दोबारा परिगणित किया गया है।

1085 GI/10-2

	(ii) फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पुप का मूल्योंास 2005 के मार्गदर्शियों की धारा 2.7.1 के अनुरूप पुनः परिगणित किया जाए।	(ii) मूल्य ोास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार 11.31% की दर से सरल रेखा विधि के आधार पर परिगणित किया गया है।
	(च) फायर टेंडर और ट्रेलर फायर पंप किराए पर लेने के लिए जेएनपीटी द्वारा प्रस्तावित दर प्रतिघंटा आधार पर है। इसलिए, फायर टेंडरों और ट्रेलर फायर पंप के लिए लागत ब्यौरे में जेएनपीटी द्वारा विचारित प्रतिदिन मूल्य ोास और प्रतिदिन अनुरक्षण लागत भी प्रतिघंटा आधार पर विचारित होनी चाहिए।	प्रतिघंटा दर प्राप्त करने के लिए लागत विवरणी नए सिरे से तैयार की गई है। लगाई जा रही दर केवल रू. 2000/- प्रति घंटा है। प्रभारित किए जाने के लिए प्रस्तावित दरें, मुंबई अग्निशमन की दरों से बहुत कम हैं। प्राधिकरण मार्गदर्शियों के अनुसार पत्तन लागत + 16% प्रतिलाभ वसूल करने का पात्र है।
(v)	जेएनपीटी ने बताया है कि इसके अग्निशामक दल में एक ऐम्बुलैंस भी शामिल है। किन्तु पत्तन द्वारा ऐम्बुलैंस के लिए कोई किराया प्रभार प्रस्तावित नहीं किया है।	आपात स्थिति में बाहरी पक्षों से फायर टेंडरों के लिए अनुरोध मिलने पर उन्हें भेजा जाता है। सामान्य रूप से ऐम्बुलैंस उनके साथ नहीं जाती है। ऐम्बुलैंस केवल तब ही भेजी जाती है जब उसके लिए विशेष अनुरोध प्राप्त होता है और कुछ लोग घायल हो गए है।
(vi)	जेएनपीटी प्रस्तावित प्रभारों को लगाने केलिए दरमान का मसौदा प्रस्तावित करें।	फायर टेंडर सेवा प्रभार के लिए रू. 2000/- प्रति घंटा दर प्रस्तावित करते हुए पत्तन ने दरमान का मसौदा प्रस्तावित किया है। इसने मानव बल तैनात करने और अग्निशामक सामग्री के लिए कोई प्रभार प्रस्तावित नहीं किया है ।

4.2 जेएनपीटी के प्रस्ताव में ट्रेलर फायर पंप के लिए दर, मानव बल और अग्निशामक उपकरणों तथा अग्निशामक की दर सामग्री के प्रभार शामिल हैं। जब कि जेएनपीटी ने, इस आधार पर कि कथित पंप कबाड़ घोषित कर दिए गए हैं, ट्रेलर फायर पंप के लिए दर हेतु अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया है , पत्तन द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 सितंबर 2009 के तहत प्रस्तुत मसौदा दरमान में मानव बल और अग्निशामक उपकरण और सामग्री के लिए कोई दर सम्मिलित नहीं है। पिछले प्रस्तावित मानवबल प्रभार जेएनपीटी के वर्तमान दरमान के अनुसार हैं (अध्याय VI - विविध प्रभार खंड 6.5).

5. 27 नवंबर 2009 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। जेएनपीटी और उपयोगकर्त्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया, इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों का सारांश संबद्ध पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

7. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) यह प्रस्ताव अग्निरोधी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार तय करने के लिए नहीं है बल्कि जेएनपीटी द्वारा पहले से लगाए जा रहे प्रभारों की दरों को अपने वर्तमान दरमान में सम्मिलित करके इन्हें नियमित करने के लिए है। ये दरें, कथित रूप से, लंबे समय अर्थात वर्ष 2003 से लगायी जाती आ रही हैं और कुछ उपयोगकर्त्ताओं द्वारा दरों की वैधता पर प्रश्न उठाए जाने के बाद ही, जैसा कि स्वयं पत्तन ने स्वीकार किया है, जेएनपीटी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

महापत्तन न्यास को, इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए स्वयं अपनी ओर से अपना प्रशुल्क निर्धारित करने की कोई सांविधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वह इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान के अनुसार प्रभार लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। जेएनपीटी को सलाह दी जाती है कि वह संविधि में सन्निहित प्रशुल्क निर्धारक व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करे। चूंकि यह प्रकरण चूक का एक मामला लगता है और वैकल्पिक सेवाओं के संबंध में भी है, यह प्राधिकरण इस चूक को माफ करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहती है और प्रकरण को विचारार्थ लेना चाहती है।

(ii) उपयोगकर्त्ताओं ने इस आधार पर, टर्मिनल के भीतर घटने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए प्रभार लगाने का विरोध किया है कि अग्निशामक उपकरणों की पूंजीगत लागत पत्तन के विकास की लागत के भीतर ही निर्मित की गई है। चूंकि इस दावे की डाटा के साथ पुष्टि नहीं की गई है, यह ध्यान में रखा जाना है कि पत्तन का प्रस्ताव अग्निशामक सेवाएं किराए पर बाहर उपलब्ध कराने के लिए होने वाले खर्चों की वसूली के लिए है और जेएनपीटी ने, दरों के निर्धारण हेतु इसकी लागत गणना में संबंधित परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत पर किसी प्रतिलाभ का दावा करने के लिए नहीं है।

(iii) जेएनपीटी का प्रस्ताव, उस समय के किराया प्रभार निर्धारित करने के लिए है जब पत्तन अपनी सीमाओं के बाहर के संगठनों को अग्निशामक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जब कोई सेवा प्रदान की जाती है तो उसमें लागत शामिल होती है और जैसा कि आईएमसी ने ठीक ही देखा है कि अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने की लागत, उस संबद्ध संगठन द्वारा पूरी करनी चाहिए जो अग्निशमन सेवाओं की मांग करता है और उन्हें प्राप्त करता है। सामान्य रूप से इस प्रकरण की प्रक्रिया में जिन उपयोगकर्त्ताओं ने भाग लिया है उन्हें, पत्तन की सीमाओं से बाहर स्थित संगठनों को पत्तन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पत्तन की प्रस्तावित दरों पर कोई आपत्ति नहीं है। संयोगवश रोड-रोलर और ट्रक के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के दरमान में प्रदत्त किराया प्रभार भी निजी उपयोग के लिए पक्षों द्वारा इन की सेवाओं का उपयोग करने पर प्रभार्य हैं।

पत्तन उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के भीतर किसी भी अवांछित घटना से जिसमें आग लगना भी शामिल है निबटने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने पर आने वाली लागत को कौन वहन करेगा। जेएनपीटी उन अग्निशमन सेवाओं से संबंधित लागत बेझिझक बर्दाश्त करने को तैयार है जो किसी ऐसी आग को बुझाने के लिए दी गई हों जिसके भड़कने के लिए सीधे-सीधे पत्तन जिम्मेदार हो। इसी जिम्मेदारी वहां भी बनती है जहां इसके द्वारा प्रचालन संचालित किया जाता हो। उन स्थानों के बारे में जहाँ जेएनपीटी का प्रचालन नहीं है अधिसूचित प्रभार केवल तभी देय होते हैं जब सेवाएं उपयोगकर्त्ता या अन्य टर्मिनल प्रचालकों, सीएफएस इत्यादि मांगी गई हों। उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सेवाएं मांगे जाने पर ही प्रभार लगाने के बारे में मुंबई पत्तन न्यास के अधिसूचित दरमान में एक व्यवस्था है। पत्तन के वर्तमान दरमान में अग्निशामक सेवाओं के लिए दरों के साथ इसी प्रकार की व्यवस्था शामिल की गई है।

(iv) पत्तन द्वारा प्रस्तुत लागत ब्यौरे इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं पाए गए हैं जबकि इस संबंध में जेएनपीटी से अनुरोध किया गया था। मुंबई अग्निशमन सेवाओं और सिडको द्वारा ली जा रही दरों पर विचार करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित दरों के प्रति कोई मुद्देवार आपत्ति नहीं है, यह प्राधिकरण दरों को अनुमोदित करने के लिए इच्छुक है। प्रस्तावित दरों के निर्धारण के लिए जेएनपीटी द्वारा अपनायी गई लागत निकालने संबंधी कार्य विधि के प्रति इसे किसी भी रूप में तात्कालिक अनुमोदन न समझा जाए।

(v) जैसा कि पहले बताया गया है , जेएनपीटी ने अपने आरंभिक प्रस्ताव में फायर टेंडर के किराए के लिए दरें प्रस्तावित की थीं । यह बताते हुए कि ट्रेलर फायर पंप्स अपना किफायती जीवन बिता चुकने के कारण कबाड में डाले जा चुके हैं, पत्तन ने ट्रेलर फायर पंपों से संबंधित प्रशुल्क मद वापिस ले ली है । इसके अलावा, जेएनपीटी द्वारा बाद में प्रस्तुत मसौदा दरमान मानवबल प्रभार और अग्निशामक सामग्री के प्रभार से संबधित प्रशुल्क मद प्रस्तावित नहीं करता है ।

मानव बल प्रभारों के संदर्भ में पत्तन का प्रस्ताव जेएनपीटी के वर्तमान अधिसूचित दरमान में अध्याय-VI (विविध प्रभार) में खंड 6.5 (मानवबल किराया प्रभार) के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध निर्धारण के अनुसार प्रभार लगाने का था और इसलिए मानवबल प्रभार पुनः अधिसूचित नहीं किए जा रहे है । मसौदा दरमान में अग्निशामक सामग्री प्रभार शामिल न करने का कारण अभी भी अनुत्तरित है । इसलिए, रू . 2000/- प्रतिफायर टेंडर प्रति घंटा की प्रस्तावित दर अधिसूचित करना पर्याप्त है और, जैसा कि जेएनपीटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है, कम से कम 4 घंटों के लिए प्रभार लगाए जाएंगे । संयोगवश प्रस्तावित दर मुंबई अग्निशमन दल द्वारा सूचित दर रू . 3000/- प्रति घंटा या उसके अंश से कम देखी गई है ।

(vi) अग्निशामक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभार लगाने हेतु जेएनपीटी के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करते हुए उपयोगकर्त्ताओं ने उल्लेख किया कि खतरनाक किस्म के कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए जेएनपीटी के पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं । सेवा प्रदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के रु प में पत्तन जिन गतिविधियों में संलिप्त है उनके क्षेत्र में सामान्य प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने और जुटाने के लिए पत्तन विधिवत बाध्य है । जेएनपीटी के लिए सलाह है कि वह बीसीसीआई और मानसा द्वारा उठायी गई कमियों की ओर ध्यान दें ।

8.1 परिणाम स्वरू प, और नीचे दिए गए कारणों से, और समग्र विचार विमर्श के आधार पर जेएनपीटी के वर्तमान दरमान के अध्याय -VI (विविध प्रभार) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया गया है :-

"6.6 मोबाइल फायर टेंडर सेवा प्रभार

क्र.सं.	विवरण	दर प्रतिघंटा
1.	आपात काल में प्रदत्त फायर टेंडर सेवा प्रभार	रू . 2000/-

नोट:-

1. फायर टेंडर सेवा एक बार प्रदान करने पर न्यूनतम 4 घंटे के लिए प्रभार लगाए जाएंगे ।

2. प्रभार केवल तभी लगाए जाएंगे जब सेवाएं उपयोगकर्त्ताओं या टर्मिनल आपरेटरों या सीएफएस इत्यादि द्वारा मांगी जाएंगी ।"

8.2 अनुमोदित दर, भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना पर लागू हो जाएंगी, क्योंकि दर पहले से प्रचालन में हैं ।

8.3 जेएनपीटी को अपना दरमान तदनुरू प संशोधित करने का निदेश दिया जाता है ।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th March, 2010

No. TAMP/20/2008-JNPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Jawaharlal Nehru Port Trust for fixing charges for providing fire protection/suppression/Fire fighting services by its mobile fire fighting units as in the Order appended hereto.

Tariff Authority For Major Ports

Case No. TAMP/20/2008-JNPT

The Jawaharlal Nehru Port Trust ... **Applicant**

ORDER

(Passed on this 23rd day of February, 2010)

This case relates to a proposal dated 18 April 2008 from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for fixing charges for providing fire protection/suppression/ fighting services by mobile fire fighting units of the port.

2.1. The main points made by JNPT are summarized below:

(i). The JNPT and the private terminals operating thereat viz., Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICT), Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) and Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) together handle dry bulk cargo, liquid bulk cargo and containers.

(ii). About 20 private Container Freight Stations (CFS) have mushroomed around the port area. Public Sector Undertakings (PSUs) like BPCL's bottling plant and warehouse of Central Warehousing Corporation (CWC) are within a distance of around 15 KMs from JNPT.

(iii). In case of fire, JNPT provides service to these neighbouring installations for the purpose of safety and protection of public from fire. For the said services, the proposed charges are being levied by the JNPT with the approval of Chairman (JNPT).

(iv). Over a period to time, the number of fire calls have increased. JNPT has been charging the parties of the proposed rates whenever fire fighting units have been pressed into service either on request or when deemed necessary for safety and fire protection. There are, however, few parties who are seeking justification for the levy of said tariff and insist on notification of the rates by TAMP.

(v). The separate tariff collected by the port by way of hazardous cargo per container to meet the exigencies does not take into account the fire services provided by the port.

(vi). The Board of Trustees of JNPT have accorded approval to the said proposal in their meeting held on 18 February 2008.

(vii). The proposed tariff particularly that of deployment of manpower is in line with the existing Scale of Rates.. The rates for other mobile and fire fighting equipments have been arrived at the actual cost being incurred by the port. The same is proposed and shall be levied for the service, if provided to private parties. The charges are bare minimum and reasonable. (The JNPT has furnished a cost statement in support of the rates proposed).

2.2. The JNPT has requested to approve the following existing charges for providing fire fighting services:

(i). Fire Tender - Rs.2000/- per fire tender per hour.

1085 GI/10-3

(ii). Trailer Fire Pump - Rs.1500/- per pump per hour

(iii). Manpower:
(a). Officers - Rs.100/- per hour
(b). Staff - Rs.75/- per hour

(iv). Fire fighting equipment & Material charges - Actuals+20% overheads

(a). Water charges
(b). AFFF compound
(c). Dry Chemical Powder
(d). BA sets
(e). Fire Extinguisher
(f). Ambulance
(g). Others

Hire charges in respect of (i), (ii) &(iii) above is payable for minimum of 4 hours.

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the proposal from the JNPT was forwarded to the concerned users/ user organizations from the approved list of users as well as the additional list of users furnished by the JNPT for their comments. Some of the users have furnished their comments. The comments received from them were forwarded to JNPT for its comments as feedback information. The JNPT has furnished its comments on the comments of users.

4.1. On a preliminary scrutiny of the proposal, the JNPT was requested to furnish additional information / clarifications. After a reminder, the JNPT has furnished its reply. The queries raised by us and the reply of the JNPT are tabulated below:

Sl. No.	Queries raised by us	Reply of JNPT
(i).	The JNPT in its proposal has stated that charges for fire fighting at the proposed rates are being levied on the basis of approval accorded by Chairman (JNPT). The levy of charges for fire fighting services by JNPT does not appear to be in line with Clause 2.17.1 to 2.17.3 of the tariff guidelines of March 2005. As per the tariff guidelines, whenever a specific tariff for a service/ cargo is not available in the notified Scale of Rates, the port can submit a suitable proposal and levy the proposed charges on an adhoc basis till the rate is finally notified. While the JNPT has filed the proposal in April 2008, it is not clear from when the port has been levying the charges on adhoc basis. Further, the said guidelines, *inter alia*, stipulate that the tariff must be mutually agreed upon by the Port and the concerned users. In the instant case, the levy of charges does not appear to have the concurrence of the concerned users. The JNPT to clarify under what tariff setting arrangement the levy is being collected by the port.	The port started levying charges for fire fighting services rendered to outside parties from the year 2003 onwards after taking the approval of the competent authority. The fire cases attended to were few and were emergency cases. Fire fighting facilities existing in the port were primarily designed to meet the port's operational needs. The question of providing assistance for requests received from other organisations in vicinity were taken based on emergency nature of the case as the facilities for providing fire fighting services to outside parties were not the core activity of the port. As the number of emergency requests from other organisations in the vicinity increased the proposal was sent to TAMP in April 2008.
(ii).	The proposal filed by JNPT is not in the prescribed Format-C applicable for fixing tariff for equipments. The JNPT to file the proposal in the prescribed format.	The cost details furnished by JNPT is not found to be in the prescribed format.
(iii).	Separate charges have been prescribed in the Scale of Rates of JNPT to handle	Additional charge for handling a hazardous container is for the extra care the port has to

	hazardous containers with a premium of 25%. It appears from the JNPT letter dated 29 November 2008 furnishing its comments on the comments of the users that the premium is accounted for towards extra care reportedly taken by the port in handling the hazardous containers. The activities undertaken towards extra care to be listed out.	take in terms of loading / discharging from / to vessel, trailer stowing in port etc. and the additional safety measures necessitated by the nature of the cargo itself. The premium of 25% charged for handling hazardous containers does not in any way cover the fire fighting facilities which may have to be provided in unforeseen emergencies. The activities undertaken towards extra care are as below: (i). Yard segregation of the hazardous containers. (ii). Containers to be stacked in the segregated slot in the ship / vessel (iii). Extra care and special supervision during the container handling operations. (iv). Labeling of the hazardous containers (v). Special care to be taken in the transportation of the hazardous containers from the yard to the berth and vice-a-versa. (vi). The Heavy Duty Driver deployed for transportation needs to be specially trained for the job.
(iv).	With reference to the cost details furnished by JNPT for calculation of hire charges for fire tenders and trailer fire pump, the JNPT to clarify/ furnish the following: (a). Port's mobile fire fighting unit consist of two water fire tenders, one foam fire tender and one multipurpose fire tender. However, JNPT has proposed a common rate for levy of hire charges for different category of fire tenders. In this context, JNPT to clarify whether the average running of 60 kms/ hr and the consumption of diesel @ 20 litres per hour considered for arriving at the fuel consumption cost of fire fenders, will be the same for all types of fire tenders.	The JNPT has clarified that the average consumption of diesel will be 1 litre of diesel per KM for all types of fire tenders.
	(b). The JNPT has stated that the costing is based on actuals incurred by the port. The JNPT to establish the average running of fire tenders and fuel consumption by fire tenders and trailer fire pump considered by it supported by workings based on the actuals for the past three years.	The JNPT has furnished the cost sheet. The calculations are based on the data available with the port for the last three years, as reported by the port.
	(c). (i). Whether the cost of Rs.35 lakhs per fire tender is same for all categories of fire tenders. The purchase cost of Rs.35 lakhs per fire tender to be validated with documentary evidence. (ii). Likewise, the purchase cost of Rs.11 lakhs for trailer fire pump to be validated with documentary evidence.	The average cost of the fire tenders considered for the purpose of calculations from the fixed assets register is Rs.30.40 lakhs for all the fire tenders put together. The cost of the fire tenders are in the range of Rs.29 lakhs to Rs.33 lakhs. The JNPT has clarified that the trailer pumps were procured in the year 1998 and also outlived their economic life span as per the norms of MOS. Hence with the due approval of

1085 GI/10-4

		the competent authority the said pumps were scraped. Hence, fixing tariff for the said equipments is not required.
	(d). It appears that the annual maintenance of fire tenders and trailer fire pump is outsourced. The JNPT to furnish a latest copy of the contract entered by it with private party/(ies) for the maintenance of fire tenders and trailer fire pump.	The JNPT has furnished a copy of the work order dated 30.8.2008 for the Annual Maintenance Contract (AMC) for the fire tenders. The AMC is valid for three years at Rs.3,76,560 per year.
	(e). (i). The basis for considering the shelf life of fire tenders and trailer fire pumps at 10 years for calculation of depreciaton to be furnished. (ii). Depreciation for fire tenders and trailer fire pump to be reworked in line with Clause 2.7.1 of the 2005 guidelines.	Earlier depreciation had been calculated on the basis of MOS guidelines which had indicated life of 10 years for fire equipments. The depreciation is recalculated @ 11.31% per annum as per the Schedule No.XIV of the Company's Act 1956 (as per Clause 2.7.1 of the TAMP's tariff guidelines of 2005). The depreciation has been reworked based on the straight line method @ 11.31% as per the Schedule No.XIV of the Company's Act 1956.
	(f). The rate proposed by JNPT for hiring of fire tenders and trailer fire pump is on an hourly basis. Hence, the depreciation per day and maintenance cost per day considered by JNPT in its costing for fire tender and trailer fire pump should also be considered on an hourly basis.	The cost sheet has been reworked to arrive at hourly rate. The rate works out to Rs.2061 per hour. The rate being charged is only Rs.2000 per hour. The rates proposed to be charged are very much lower than the rates of Mumbai Fire Brigade. The port is entitled to charge cost +16% return as per the TAMP guidelines.
(v)	The JNPT has stated that its fire fighting unit includes one Ambulance. But, no hire charge for Ambulance is proposed by the port.	The fire tenders are sent at the request for the same from outside parties during emergencies. The ambulance is not normally accompanying the fire tender. The ambulance is provided only when there is a specific request for the same and some casualties have arisen.
(vi).	The JNPT to propose draft Scale of Rates for levy of the proposed charges.	The port has proposed draft Scale of Rates proposing rate of Rs.2000 per hour for Fire Tender Service Charge. It has not proposed charges for Manpower deployment and charges for Fire Fighting material.

4.2. The proposal of the JNPT includes rate for Trailer Fire Pump and rate for man power and fire fighting equipment & material charges. While the JNPT has specifically withdrawn its proposal for the rate for Trailer Fire Pump on the ground that the said pumps have been scrapped, the draft Scale of Rates later furnished by port under cover of its letter dated 23 September 2009 does not include the rates for man power and fire fighting equipment & material charges. The earlier proposed man power charges are as per the existing Scale of Rates of JNPT (Section 6.5 of Chapter-VI – Miscellaneous Charges).

5. A joint hearing in this case was held on 27 November 2009 in the office of this Authority. The JNPT and the users made their submissions.

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

7. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). This proposal is not for fixation of charges for providing fire protection services but only to regularize the charges already being levied by the JNPT by including such rates in its existing Scale of Rates. These rates are reportedly being levied for a long time since the year 2003 and only after being questioned by some users, as admitted by the port itself, about the validity of the rates, the JNPT has submitted this proposal.

A major port trust has no statutory power to prescribe, suo-motu, its own tariff for any service provided by it. It is legally bound to levy charges as per the Scale of Rates approved by this Authority. The JNPT is advised to adhere to the tariff setting arrangement envisaged in the Statute. Since this case appears to be an omission and also in relation to optional services, this Authority is inclined to take a lenient view to condone the lapse and take up the case for consideration.

(ii). The users have strongly resented for the levy of the charges for any accident or mishap that occurs within the terminal on the ground that the capital cost of the fire fighting equipments has been inbuilt into the cost of development of the port. While this contention is not substantiated with data, it has to be kept in view that the proposal of the port is for recovery of expenses for hiring out the fire fighting services and the JNPT has not claimed any return on the capital cost of the relevant assets in its costing for determination of the rates.

(iii). The proposal of the JNPT is to fix hire charges when the port provides fire fighting facilities to organisations outside the port limits. Providing a service involves cost and as rightly observed by the Indian Merchants' Chamber (IMC), the cost of rendering the fire fighting services should be met by the concerned organizations, who requisition and avail the JNPT fire fighting service. Generally, the users who have participated in the proceedings in the case have no objection to the rates proposed by the JNPT when the port renders the services to the organisations which are situated outside the port limits. Incidentally, the hire charges prescribed in the Scale of Rates of New Mangalore Port Trust (NMPT) for Road Roller and Truck are also leviable when the services are made use by the parties for private use.

The port is responsible to tackle any untoward incident, which also includes fire, within its area of jurisdiction. The question is as to who has to bear the costs connected with such rendering of service. The JNPT without any hesitation is willing to bear the costs connected with fire fighting services, when it douses a fire that erupts for the reasons squarely attributable to the port. Its responsibility extends to the operations carried out by it. In respect of the places where JNPT does not operate, the charges notified will become payable only when the services are requisitioned by the user or the other terminal operators, CFSs, etc., There is an arrangement in the notified Scale of Rates of the Mumbai Port Trust (MBPT) to levy the charges only when the services are requisitioned by the users. Similar prescription is incorporated in the existing Scale of Rates alongwith the rates for the fire fighting services.

(iv). The cost details furnished by the port are not found to be in the format prescribed by this Authority despite a request made to JNPT in this regard. Considering the schedule of rates charged by Mumbai Fire services and CIDCO and keeping in view that there is no pointed objection to the proposed rates, this Authority is inclined to consider to endorse the rates. This in no way should be construed as an incidental approval to the costing methodology adopted by the JNPT for determination of the proposed rates.

(v). As brought out earlier, the JNPT had proposed in its initial proposal rates for hire of Fire Tender, Trailer Fire Pump, rates for deployment of manpower and charges

for fire fighting material. Stating that the Trailer Fire Pumps having outlived the economic life have been scrapped, the port has withdrawn the tariff item relating to Trailer Fire Pumps. Further, the draft Scale of Rates subsequently furnished by the JNPT, does not propose the tariff item relating to manpower charges and fire fighting material charges.

With reference to manpower charges, the proposal of the port was to levy the charges as per the prescription already available in the existing notified Scale of Rates of JNPT under Section 6.5 (Man Power hiring charges) in Chapter – VI (Miscellaneous charges) and hence the manpower charges are not notified again. The reasons for not considering the fire fighting material charges in the draft Scale of Rates remain unexplained. It is, therefore, sufficient to notify the proposed rate of Rs. 2,000/- per fire tender per hour and the charges will be levied for a minimum of 4 hours as proposed by JNPT. Incidentally, the proposed rate is seen to be lower than the rate of Rs. 3000/- per hour or part thereof reported by the Mumbai Fire Brigade.

(vi). While responding to the proposal of the JNPT for levy of charges for rendering fire fighting services users have pointed out that the JNPT is lacking some facilities to handle hazardous containers. As a service provider and the public authority, the port is duty bound to ensure and possess all requisite facilities of mitigating disaster of whatsoever nature that may be common in the field of activity in which the port is engaged. The JNPT is advised to look into the deficiencies pointed out by the BCCI and MANSA.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the following provision is inserted in Chapter-VII (Miscellaneous Charges) in the existing Scale of Rates of JNPT:

"6.6. Mobile Fire Tender Service Charges

Sl. No.	Description	Rate per hour
1.	Fire Tender Service charge provided during emergency.	Rs.2000

Note:

1. Once the fire tender service is provided, the charges will be levied for minimum 4 hours.

2. The charge is payable only when the services are requisitioned by the users or terminal operators or CFSs etc.,"

8.2. The rate approved will come into force upon its notification in the Gazette of India since the rate is already in operation.

8.3. The JNPT is directed to amend its Scale of Rates suitably.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/09-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.